



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2173]
No. 2173]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 2017/श्रावण 13, 1939
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 2017/SRAVANA 13, 1939

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2017

का.आ. 2473(अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 15 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 24 मई, 2016 के का.आ. 1868 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है और निम्नलिखित नाम स्लॉट सं. 3 एवं 4 तथा 46 में शामिल किए जाएंगे, अर्थात् :—

स्लॉट सं.	नाम / पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य	नियुक्ति की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
3	डॉ. संगीता कुमारी, खादी भंडार, मुजफ्फरपुर - 842002, बिहार, सदस्य (पूर्वी अंचल), खादी और ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य	23 मई, 2019 तक या दो वर्षों के लिए जो भी पहले हो
4	श्री राजेन्द्र प्रताप गुप्ता, 102, सिद्धि विनायक, भूखंड सं. 3, सेक्टर 14, खंदा कालोनी, न्यू पतवेल - पश्चिम, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र - 410203, विशेषज्ञ सदस्य (विपणन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य	23 मई, 2019 तक या दो वर्षों के लिए जो भी पहले हो
46	श्री एच.एस. मंजप्पा, मेन रोड, शिवमोगा, जिला सोराब - 577429, कर्नाटक	सदस्य	23 मई, 2019 तक

2. पदेन सदस्यों को छोड़कर उक्त सदस्य अपनी संबंधित प्रविष्टि के सामने उल्लिखित अवधि के लिए अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ऐसी तारीख तक कार्यभार संभालेंगे।

3. बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही किन्हीं सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति और उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि के दौरान इसके सदस्यों के बीच किसी रिक्ति के होने के कारण अवैध नहीं होगी।

[फा. सं. 6(6)/2017-केवीआई-II]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2017

S.O. 2473(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), read with rule 15 of the Khadi and Village Industries Commission Rule, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 1868(E), dated the 24th May, 2016 and following name shall be inserted in the Slot Nos. 3 & 4, and 46, namely:—

Slot No.	Name/designation	Chairman/ Member	Term of Appointment
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Dr. Sangeeta Kumari, Khadi Bhandar, Muzaffarpur – 842002, Bihar, Member (Eastern Zone), KVIC	Member	Till 23 rd May, 2019 or for two years whichever is earlier
4.	Shri Rajendra Pratap Gupta, 102, Siddhi Vinayak, Plot No. 3, Sector 14, Khanda Colony, New Panvel-W, Navi Mumbai, Maharashtra-410203, Expert Member (Marketing), KVIC	Member	Till 23 rd May, 2019 or for two years whichever is earlier
46.	Shri H. S. Manjappa, Main Road, Shivamogga Dist., Sorab-577429, Karnataka.	Member	Till 23 rd May, 2019

2. The members other than ex-officio members shall hold office for the period indicated against their respective entry or till such date as may be notified by the Government, from time to time.

3. No act or proceeding of the Board shall be invalid by the reason only of the existence of any vacancy amongst its members during the period between expiry of tenure of any members and date of appointment of his successor.

[F. No. 6(6)/2017-KVI-II]

B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.